



श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार



बिहार सरकार



मोहम्मद जमा खान
माननीय मंत्री, अ.क.वि., बिहार

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना

मार्गनिर्देशिका



बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का उपक्रम

34-हाड़ींग रोड, पटना - 800 001

**बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम
से संचालित होने वाली राज्य सम्पोषित
“मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना”**

1) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना

राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण रोजगार ऋण योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक वर्ग के छ: समुदायों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के व्यवितियों को लाभान्वित करने हेतु संचालित की जायेगी। इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों एवं युवतियों को विभिन्न योजनाओं/व्यवसायों में अधिकतम 5 लाख रुपये तक ऋण राशि मुहैया करायी जायेगी।

2) योजना के कार्यान्वयन की रूप रेखा

- i) योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा योजना मद में वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2015–16 तक 25 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से कुल 100 करोड़ रुपये की राशि एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में 75 करोड़ रुपये की राशि हिस्सा पूँजी के रूप में बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये की दर से हिस्सा पूँजी के रूप में बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को उपलब्ध कराया जा रहा है।
- ii) राज्य सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध करायी गयी राशि में प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अन्तर्गत ऋण वितरित किया जायेगा। इस योजना में वितरित ऋण राशि की वसूली रकम (मूल धन) का उपयोग पुनः इस योजना में ऋण वितरण करने हेतु Revolving fund के रूप में किया जायेगा।

- iii) इस योजना में उपलब्ध निधि के विरुद्ध अर्जित व्याज, लाभुकों से प्राप्त व्याज की राशि तथा प्रोसेसिंग चार्ज के मद में प्राप्त राशि का उपयोग प्रशासनिक व्यय, डिलीवरी कॉस्ट एवं अन्यान्य व्यय के मद में किया जायेगा।
- iv) इस योजना के निमित अलग से बैंक खाता का संचालन एवं संधारण किया जायेगा।
- v) संशोधित प्रावधान के अनुसार लाभान्वितों के चयन हेतु जिला स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :—
 - (क) उप विकास आयुक्त या उनके द्वारा मनोनीत निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण – अध्यक्ष
 - (ख) संबंधित जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी या उक्त रिक्त होने के स्थिति में जिला कल्याण पदाधिकारी – सदस्य सचिव
 - (ग) संबंधित जिला के जिला उद्योग केन्द्र के पदाधिकारी – सदस्य
 - (घ) अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा मनोनीत पदाधिकारी – सदस्य
 - (ड.) जिला स्तरीय चयन समिति में संबंधित जिला के अल्पसंख्यक समुदाय के 2 सामाजिक कार्यकर्ता (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मनोनीत) – गैर सरकारी सदस्य

बैठक में कोरम के लिए अध्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम 2 (दो) सदस्यों का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष की अपरिहार्य कारणों से अनुपरिधित होने पर उपरिधित सदस्यों में से वरीयतम के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।

इस चयन समिति द्वारा लाभान्वित होने वाले ऋणावेदकों को उनसे प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर चयन किया जायेगा, जिन्हें ऋण की

स्वीकृति देकर बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना के प्रबंध निदेशक के द्वारा राशि विमुक्त की जायेगी।

3) चयन की प्रक्रिया :

- i) बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में इस योजना के लिए ऋण आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।
- ii) संशोधित प्रावधान के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित आवेदकों को ऋण की स्वीकृति देने के पूर्व उनका स्थल निरीक्षण एवं उनके द्वारा समर्पित कागजात का सत्यापन तथा अनुशंसा के साथ प्रमङ्गलीय प्रभारी द्वारा स्थल जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
- iii) निगम के प्रमङ्गलीय कार्यालय द्वारा चयनित ऋणावेदकों से कागजीकरण यथा शपथ पत्र, अनुबन्ध पत्र, गारन्टी बॉण्ड, हाइपोथिकेशन प्रपत्र निष्पादित कराया जायेगा, जिसपर निगम की ओर से प्रमङ्गलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

4) योजना के लाभान्वितों हेतु पात्रता मापदण्ड :

- i) आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- ii) आवेदक बिहार के उसी जिला का निवासी हो, जहाँ योजना का लाभ लिया जाना है।
- iii) ऋण की राशि से लाभुक आय प्रदान करने वाली परिसम्पत्तियाँ सृजित करेंगे।
- iv) आवेदक सरकारी / अर्द्ध सरकारी सेवा में न हो।

- v) आवेदक अल्पसंख्यक यथा मुरिलम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन अथवा पारसी समुदाय का हो। मुस्लिम को छोड़ कर अन्य अल्पसंख्यकों हेतु उनके धर्म सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित धर्मावलम्बी संस्थानों (Monasteries) द्वारा निर्गत हो।
- vi) आवेदकों के पारिवारिक वार्षिक आय 4.00 लाख रुपये से अधिक न हो।
- vii) ऋणावेदक के पारिवारिक वार्षिक आय एवं आवास से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार यथा अनुमण्डलाधिकारी या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, आवेदन पत्र के साथ समर्पित करना होगा।

5) व्याज दर :

- i) इस योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा 5% साधारण वार्षिक व्याज दर पर लाभार्थियों को ऋण राशि मुहैया करायी जायेगी तथा योजना लगाने हेतु तीन माह की स्थगन अवधि (Moratorium) मानी जायेगी और इस (Moratorium Period) को व्याज मुक्त रखा जायेगा।
- ii) इस योजना के निमित चयनित आवेदन पत्रों पर स्वीकृति प्रदान करने के समय निगम द्वारा प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में 0.5% शुल्क लिया जायेगा।
- iii) लाभुकों द्वारा निर्धारित समय में किस्तों का भुगतान कर पूर्ण राशि वापस किया जाता है तो उन्हें देय व्याज में 0.5% की छूट दी जाएगी।

6) दण्ड व्याज :

- i) लाभुकों द्वारा प्रत्येक वर्ष की देय किस्तों की राशि के अनुसार भुगतान नहीं किये जाने पर वर्ष की समाप्ति के पश्चात अतिदेय राशि पर चक्रवृद्धि व्याज की गणना कर उनसे निगम द्वारा वसूली की जाएगी।

7) ऋण की वापरी :

- i) लाभार्थियों से 20 समान त्रैमासिक किस्तों में मूलधन व ब्याज निगम द्वारा वसूल किया जायेगा।

8) गारन्टर/एकरारनामा :

- i) ऋणग्रहिता से 1000/- रुपये के नन जुड़िसियल/एडहेसिव स्टाम्प पर एकरारनामा (प्रपत्र में) निष्पादित कराया जायेगा।
- ii) निम्नांकित गारन्टर से 1000/- रुपये के नन जुड़िसियल/एडहेसिव स्टाम्प पर गारन्टी बॉण्ड (प्रपत्र में) निष्पादित कराया जायेगा।
- iii)(क) 1 लाख रुपये तक की ऋण राशि : ऋणधारक द्वारा स्वयं की गारंटी, किसी ऐसे व्यक्ति की गारन्टी जिनके नाम या उनके माता/पिता के नाम रेन्ट रसीद/लगान/अन्य सम्बन्धित दस्तावेज हो, से गारन्टी बॉण्ड निष्पादित कराते समय उसकी छायाप्रति समर्पित करेंगे।
- (ख) 1,00,001 रुपये से 5 लाख रुपये की ऋण राशि तक : एक सरकारी/अद्वैत सरकारी/बैंक कर्मी/स्वायत निकाय के कर्मी (जिनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष शेष हो)/आंगनबाड़ी कर्मी/मदरसों के शिक्षक/अनुबंधित वकफ के मोतवल्ली/आयकर दाता की व्यक्तिगत गारंटी, ऋण राशि के समतुल्य अचल सम्पत्ति का बन्धेज (Equitable Mortgage) के साथ गारंटी बॉण्ड निष्पादित करना होगा।
- iv) ऋण वापरी हेतु लाभार्थी से किसी बैंक (सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) का कम से कम 10 अधिकतम 20 उत्तर दिनांकित चेक लिया जायेगा। साथ ही लाभार्थी से विहित प्रपत्र में शपथ पत्र एवं 30 रुपये का एडहेसिव स्टाम्प पर हाईपोथिकेशन निष्पादित कराया जायेगा।

9) ऋण की स्वीकृति :

- i) निगम मुख्यालय द्वारा ऋण स्वीकृति आदेश निर्गत कर लाभुक के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से ऋण राशि का भुगतान किया जायेगा। यदि स्वीकृत राशि के विरुद्ध मशीन/उपकरण/उपस्कर/सामग्री के एक युनिट का क्रय मूल्य 1 लाख रुपये या उससे अधिक हो, तो लाभार्थियों द्वारा अधिकृत विक्रेता से प्राप्त कोटेशन/प्रोफोर्मा बिल समर्पित किया जायेगा, जिसकी आपूर्ति हेतु सीधे विक्रेता के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से निगम द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- ii) यदि मशीन/उपकरण/उपस्कर सामग्री इत्यादि के एक युनिट का क्रय मूल्य 1 लाख रुपये से कम हो तो निगम द्वारा स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भुगतान किया जायेगा।



آفس کے توسط سے قرض یا نوٹ کے بینک اکاؤنٹ میں RTGS کے ذریعہ
قرض کی رقم فراہم کرائی جائے گی۔

اگر منظور شدہ رقم سے مشین رآل جات راوے اسٹائیل کے ایک یونٹ کا فریب
دام ایک لاکھ روپیے یا اس سے زیادہ ہو تو مستندیوں کے ذریعہ جزڑ دکاندار
سے حاصل کوئی شرپ قابلِ جمع کیا جائے گا جس کی فراہمی کے لئے براء
راست دکاندار کے نام RTGS کے توسط سے ادائیگی کی جائے گی۔

ii. اگر مشین رآل جات راوے اسٹائیل وغیرہ کی قیمت ایک لاکھ روپیہ سے کم ہے تو
کار پوریشن سے منظور قرض کی رقم علامت شدہ بینک اکاؤنٹ میں
کے ذریعہ براء راست قرض یا فتحان کو دی جائے گی۔

کا پوریشن وصول کرے گا۔

8. گارنٹر افروار نامہ

i. قرض یافہ سے = 1000 روپے کے فن جیوڈیشل / الیجوس اسٹاپ پر اقرار نامہ (پر فارماں) واٹل کیا جائے گا۔

ii. درج ذیل گارنٹر سے = 1000 روپے کے فن جیوڈیشل / الیجوس اسٹاپ پر گارنٹی بانڈ (پر فارماں) تجعیف کیا جائے گا۔

(الف) ایک لاکھ روپیہ تک کمی قرض کی رقم: قرض یافہ کی جانب سے اپنی گارنٹی یا کسی ایسے شخص کی گارنٹی جن کے نام بیان کے ماترہ پر کام کرایہ رسید رکان روکیگر و تاویز ہو۔ گارنٹی بانڈ بھروانے کے وقت اس کی قوتوں کا لیے تجعیف کرنی پڑے گی۔

(ب) 100001 سے 5 لاکھ روپیے تک کے قرض کی رقم: ایک سرکاری رقم سرکاری ربیک طازم، آنونس ہاؤزی کے طازم (جن کی حد طازمت کم سے کم 5 سال ہاتھ پہنچی ہو) آنکن بازی بنڈر کے طازم۔ مدرسون کے طازم، درجہ دو قوت کے متوجی، انکم لیکس دینہ دی کی ذاتی گارنٹی قرض کی رقم کے برابر الماک کا مورثی (Equitable Mortgage) کے ساتھ گارنٹی بانڈ بھرا جائے گا۔

iv. قرض کی واپسی کے لئے قرض یافہ سے کسی بینک (کا پوریشن یا علاقائی بینک کو چھوڑ کر) کام سے کم دن یا زیادہ سے زیادہ 20 بعد کی تاریخ کا چینک لیا جائے گا۔ ساتھ ہی قرض یافہ سے مقررہ پر فارماں حفظ نامہ اور 30 روپیہ کے الیجوس اسٹاپ پر ہائی پریکشن لیا جائے گا۔

9. قرض کی منظوری

1. کار پوریشن صدر دفتر کی جانب سے قرض منظوری حکم نامہ جاری کر

- v. درخواست دہندہ کے لئے (Family) کی آمد نی 4.00 لاکھ روپیہ سے زیاد ہے۔
- vii. درخواست دہندہ کی خاندانی آمدی اور ہائش سے متعلق سریعیت اہل افریقی سب ڈویزیل افسر، یا جی ڈی اولی اسی اور کے ذریعہ جاری کردہ درخواست کے ساتھ جمع کرنا ہوگا۔

5 سود کی شرح

- اس منصوبے کے تحت کار پوریشن کی جانب سے 5% عام سالانہ سون سود پر درخواست دہندگان کو قرض کی رقم میبا کرائی جائے گی اور کام شروع کرنے کے لئے تین میсяں کی Moratorium period دی جائے گی اور اس Moratorium period کو سود سے محفوظ رکھا جائے گا۔
- اس منصوبے کے تحت قرض کے لئے منتخب درخواستوں پر فنڈ فراہم کرنے کے وقت کار پوریشن کی جانب سے قرض یا نفعگان سے 0.5% پر سینکڑ چارج لیا جائے گا۔
- مستکفیوں کی جانب سے مقررہ مدت کے دوران قطبوں کی ادائیگی کے ذریعہ پوری رقم والیں کی جاتی ہے تو انہیں قابل اوسود میں 0.5% کی رعایت دی جائے گی۔

6 جرہ مادہ سود

- مستکفیوں کی جانب سے ہر سال قابل ادار قم کی ادائیگی نہ کے جانے پر سال ختم ہونے پر کپاڈٹ ایٹرست لٹا کر کار پوریشن کے ذریعہ وصولی کی جائے گی۔

7 قرض کی واپسی:

قرض یا نفعگان سے 20 یکساں سہ ماہی قطبوں میں خالص قرض اور سود

3. سلکشن کا طریقہ :

- a. بھاری اسی اقیقی مالیاتی کارپوریشن پنڈ کی طرف سے روز نام اخباروں میں اس منصوبے سے قرض کے لئے درخواست ضلع اقیقی فلاح کے دفتر میں جمع کرنے کے لئے اشتباہ شائع کرایا جائے گا۔
- b. زیرِ نظر حکم کے مطابق ضلع سلکشن کمیٹی جن درخواستوں کو محفوظ رہے گی اُنہیں آفس میں سے قیلنے کا آن وری اپاٹ اوری ٹکھن اور درخواست دہنگان کے لفڑات کی جانبی و تقدیمی کے ساتھ دو ہائل پنجارن کی جانب سے اپاٹ اوری ٹکھن رپورٹ فیصلی کی جائے گی۔
- c. کارپوریشن کے ذوینہ دفاتر کے ذریعہ منتخب امیدواروں سے حلف نامہ، معاهدہ نامہ گھری بانٹ، ہائی پورٹھکیشن ہبھی تارکے جائیں گے جن پر کارپوریشن کی جانب سے کارپوریشن کے ذوینہ آفس کے انچارج افراد مختلط کریں گے۔

4. منصوبہ سے قرض کیم لئے اہلیت کا معیار:

- i. درخواست دہنہ کی عمر 18 سے 50 سال کے درمیان ہوئی چاہئے۔
- ii. درخواست دہنہ بھار کے اسی ضلع کا رہنے والا ہو جہاں کام شروع کیا جاتا ہے۔
- iii. قرض کی رقم میں تنینوں کی آمدی پیدا کرنے والی الگا حاصل کریں گے۔
- iv. درخواست دہنہ سرکاری ریشم سرکاری طازہ مت میں ہو۔
- v. درخواست دہنہ اقیقی فرقہ کا یعنی سلم، سکھ، یہودی، بودھ، باری اور ہن ہو سلم کو چھوڑ کر دیگر اقیت کے لئے ان کے نہب سے حلق ان کے نہبی پیشووا کا سرتیکیت ہونا ضروری ہے۔

Fund کے طور پر کیا جائے گا۔

- iii. اس مخصوصہ میں فراہم شدہ قانون پر حاصل شدہ سو، قرض یا نفعان سے متعلق
والاسود اور پروسینک کے زمرے میں حاصل رقم کا استعمال انتہائی
اخراجات، ذیلی روایتی کا است اور وہیکر اخراجات کے لئے کیا جائے گا۔
(۷) اس مخصوصہ کے نام سے پیک میں علیحدہ اکاؤنٹ ہوگا اور تمام کام اسی
اکاؤنٹ سے ہو گے۔

(۷) زیرِ مذکورہ قلم کے طبق میں مذکورہ متنوں کے اختباب کے لئے ضلعی طلب ایک اتفاقی کمیٹی تعلیم دی جائے گی جس
میں مندرجہ ذیل بحثیں ہوں گے۔

- (الف) ایڈی یا ان کے ہمراہ شدہ وزیر کمیٹی کی ترقیاتی تقدیمی۔ جیسے میں
(ب) حلقہ طلب کے طبع اتفاقی فلاح آئیں را مدد و مدد خالی ہونے کی صورت میں ضلعی فلاح آئیں را مدد کریں
(ج) حلقہ طلب کے منعی مرکز کے آئیں را مدد کریں
(د) اتفاقی ایڈی کا پوری بخش کے بھیج کر ایکٹری طرف سے ہمراہ آئیں را مدد کریں
(ج) ضلعی سکھن کمی میں حلقہ طلب کے اتفاقی فرقے کے دہائی کا رکن (اتفاقی فلاح مگر سے ہمراہ شدہ)
فیر رکارکن رکن

مینٹگ کے کووم کے لئے صدر کے علاوہ کم از کم دوارکان کا ہوتا لازمی ہے تاکہ زیر
حالات میں صدر کی عدم موجودگی کی صورت میں مینٹگ میں سے ایک سینئر کی
صدارت کریں گے۔

یہ سکھن کمی قرض کے لئے درخواست دہنگان کی جانب سے موصول درخواست کی
ہنیاد پر مستندیوں کا اختباب کرے گی اور اپنی قرض دینے کی سفارش کرے گی۔ بہار
ریاستی اتفاقی مالیاتی کا پوری بخش پنڈ کے مینٹگ و ایکٹر ان کے قرض کی رقم جاری
کریں گے۔

بہاریاتی اقیتی مالیاتی کارپوریشن کے قسط سے جتنے والے ریاستی حکومت کا امداد یافتہ "وزیر اعلیٰ اقیتی روزگار قرض منصوبہ"

1. وزیر اعلیٰ اقیتی روزگار قرض منصوبہ: ریاستی حکومت کا امداد یافتہ وزیر اعلیٰ اقیتی روزگار قرض منصوبہ تویی اقیتی کیشن آرڈنمنس 1992 کے تحت مرکزی حکومت کی جانب سے فرادرے گئے اقیتی طبقہ کے چھ فرتوں (مسلم، سکھ، یہودی، بودھ، پارسی اور مین) کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے شروع کیا جائے گا۔ اس منصوبہ سے اقیتی فرود کے ہے روزگار نوجوان لاکر کے لیے کیون کو مختلف منصوبوں کا درباروں کے لئے زیادہ سے زیادہ پانچ لاکھ روپیہ تک کا قرض دیا جائے گا۔

2. منصوبہ نفاذ کا خاکہ:

i. منصوبہ کے نفاذ کے لئے ریاستی حکومت کی جانب سے مالی سال 2012-2013 سے مالی سال 2015-2016 تک 25 کروڑ سالانہ کے حساب سے مالی سال 2013 کروڑ روپیے کی رقم تریلی سال 2016-2017 میں 75 کروڑ روپیے کی رقم حصہ پنجی کے طور پر بہاریاتی اقیتی مالیاتی کارپوریشن بہار، پندرہ فراہم کرائی گئی ہے۔ مالی سال 2017-2018 سے ریاستی حکومت کی جانب سے ہر سال 100 کروڑ روپیے کے حساب سے حصہ پنجی کی ٹکل میں بہاریاتی اقیتی مالیاتی کارپوریشن پورا ہم کرایا جائے گا۔

ii. ریاستی حکومت کی جانب سے کارپوریشن کو مہیا کرنے گئے فنڈ میں سے ہر سال وزیر اعلیٰ اقیتی روزگار قرض منصوبہ کے تحت قرض تقسیم کیا جائے گا۔ اس منصوبہ کے تحت تقسیم کی گئی رقم کی وصولی رقم (خالص رقم) کا استعمال پھر اس منصوبہ کے تحت قرض فراہم کرنے کے لئے



बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

(बिहार सरकार का उपक्रम)

34, हाड़िंग रोड, पटना-800 001

Email : minocorp@patna@gmail.com. website : www.bsmfc.org

Ph. : 0612 : 2204975